प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष –2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 897 / 2022

अनवान : –

1. कृष्णा पत्नी नरेश कुमार जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक. 14.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 25 / 25 की कुल 6.7640है0 भूमि में से 3 / 356 हिस्सा भूमि वादीया स0 1 व 71 / 3382 हिस्सा भूमि वादी स0 2 नाम तथा रोही मौजा 2 आरएमएस खाता स0 100 / 36 की कुल 1.8975हैव भूमि में वादीगण प्रत्येंक के 158 / 18975 हिस्सा व रोही मौजा 1 आरएमएस के खाता स0 38 / 26 की कुल 0.7800है भूमि में वादीया स0 1 का 667 / 78000 हिस्सा व वादी स0 2 का 4 / 195 हिस्सा तथा रोही मौजा 3 आरएमएस के खाता स0 24 / 22 की कुल 2.6987है0 भूमि में वादीगण प्रत्येंक का 281 / 33735 हिस्सा वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीया स0 1 का नाम जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 का नाम विनु पुत्र नरेश दर्ज है जबकि वादीया स0 1 का सही एवं वास्तविक नाम कृष्णा पत्नी नरेश कुमार व वादी स0 2 का सही व वास्तविक नाम राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार है जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आदि में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादीगण अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible]कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक [illegible] दिनांक 16.03.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीया स0 1 जुंगा पत्नी [illegible] के स्थान पर कृष्णा पत्नी नरेश कुमार व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार किया जाना उचित है।

...अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण का सही नाम कृष्णा पत्नी नरेश कुमार व राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार है जबकि राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड , पहचान पत्र, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आदि में वादीगण का नाम क्रमश कृष्णा पत्नी नरेश कुमार व राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार ही दर्ज है। वादी द्वारा चित्रप्रति की पर्चा डिक्री प्रस्तुत की गई। अतः मुताबिक वादीगण के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमने पक्षकारान को सुना व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 25/25 की कुल 6.7640है0 भूमि में से 3/356 हिस्सा भूमि वादीया स0 1 व 71/3382 हिस्सा भूमि वादी स0 2 नाम तथा रोही मौजा 2 आरएमएस खाता स0 100/36 की कुल 1.8975हैक भूमि में वादीगण प्रत्येंक के 158/18975 हिस्सा व रोही मौजा 1 आरएमएस के खाता स0 38/26 की कुल 0.7800है भूमि में वादीया स0 1 का 667/78000 हिस्सा व वादी स0 2 का 4/195 हिस्सा तथा रोही मौजा 3 आरएमएस के खाता स0 24/22 की कुल 2.6987है0 भूमि में वादीगण प्रत्येंक का 281/33735 हिस्सा वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त खाते में वादीया स0 1 नाम जुंगा पत्नी नरेश के स्थान पर कृष्णा पत्नी नरेश कुमार व वादी स0 2 का नाम विनु पुत्र नरेश दर्ज है के स्थान राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आदि में वादीया स0 1 का सही नाम कृष्णा पत्नी नरेश कुमार व वादी स0 2 का सही नाम राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति पर्चा डिक्री जिसमें रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता स0 336/289 की कुल 6.7640 हैक्ट भूमि में वादीगण का नाम कृष्णा उर्फ जुगा पत्नी नरेश कुमार, राजेश उर्फ विनु पुत्र नरेश कुमार का संशोधन भी किया गया है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादीगण का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण स्वी[illegible] मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 25/25 की कुल 6.7640है0 भूमि, रोही मौजा 2 आरएमएस खाता स0 100/36 की कुल 1.8975हैक व रोही मौजा 1 आरएमएस के खाता स0 68/26 की कुल 0.7800है तथा रोही मौजा 3 आरएमएस के खाता स0 24/22 की कुल 2.

...अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

6987है0 भूमि उपरोक्त चारों खातों की भूमि में वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश के स्थान पर कृष्णा उर्फ जुंगा पत्नी नरेश कुमार व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के स्थान पर राजेश उर्फ विनु पुत्र नरेश कुमार का संशोधन किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 897 / 2022

अनवान : –

1. कृष्णा पत्नी नरेश कुमार जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 25 / 25 की कुल 6.7640है0 भूमि, रोही मौजा 2 आरएमएस खाता स0 100 / 36 की कुल 1. 8975हैक्ट व रोही मौजा 1 आरएमएस के खाता स0 68 / 26 की कुल 0.7800है तथा रोही मौजा 3 आरएमएस के खाता स0 24 / 22 की कुल 2.6987है0 भूमि उपरोक्त चारों खातों की भूमि में वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश के स्थान पर कृष्णा उर्फ जुंगा पत्नी नरेश कुमार व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के स्थान पर राजेश उर्फ विनु पुत्र नरेश कुमार का संशोधन किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/6/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 897 / 2022
अनवान : –

1. कृष्णा पत्नी नरेश कुमार जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 25 / 25 की कुल 6.7640है0 भूमि, रोही मौजा 2 आरएमएस खाता स0 100 / 36 की कुल 1. 8975हैक्ट व रोही मौजा 1 आरएमएस के खाता स0 68 / 26 की कुल 0.7800है तथा रोही मौजा 3 आरएमएस के खाता स0 24 / 22 की कुल 2.6987है0 भूमि उपरोक्त चारों खातों की भूमि में वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश के स्थान पर कृष्णा उर्फ जुंगा पत्नी नरेश कुमार व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के स्थान पर राजेश उर्फ विनु पुत्र नरेश कुमार का संशोधन किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया स0 1 जुंगा पत्नी नरेश व वादी स0 2 विनु पुत्र नरेश नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/6/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:45 IST
Reason: SelfAttested